कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 3019/FP/UK/ROAD/21220/2016 देहरादूनः दिनांकः 07 मई, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.72 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/21220/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग द्वारा 4.72 है0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्रदान करने हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। उक्त परियोजना हेतु वांछित वन भूमि राजस्व विभाग, जनपद–चमोली/वन विभाग के केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव के अनुसार विषयगत परियोजना राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 10.00 किमी0 से अधिक है। (उक्त का प्रमाण–पत्र ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट–। के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के क्रम संख्या–9 में अपलोड है)।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–I से भाग–III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–IV पर संस्तुति कर प्रस्ताव पर भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

7/5/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या /FP/UK/ROAD/21220/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
4. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग।
7. अपर प्रमुख वन संरक्षक, भा0स0, पर्या0 वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रा0, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को प्रस्ताव की हार्ड मूल प्रति एवं ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग IV तक संलग्न कर प्रेषित।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.72 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन**

(Online proposal no- **FP/UK/ROAD/21220/2016)**

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.72 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन भूमि जनपद–चमोली के राजस्व विभाग/वन विभाग के केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ती है। प्रश्नगत परियोजना में 2.675 हे0 सिविल वन भूमि, 2.045 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.720 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव के अनुसार विषयगत परियोजना राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 10.00 किमी0 से अधिक है। (उक्त का प्रमाण–पत्र ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट–। के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के क्रम संख्या–9 में अपलोड है)।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षरः [signature]

नाम व पदनामः (डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः
तिथि : 07/05/2019
स्थान : देहरादून